



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 165/2019

विशेषर पाटले उर्फ बोडो, पिता सालिकराम पाटले, आयु लगभग 46 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी ग्राम सिलपहरी, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना प्रभारी, पुलिस थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

...प्रत्यर्थी /राज्य

अपीलार्थी की ओर से : श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से : श्री आशीष शुक्ला, उप-महाधिवक्ता

युगलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

बोर्ड पर निर्णय

(14.11.2025)

न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल,

1. अपीलार्थी ने यह दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन इस न्यायालय के दाण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 105/2017 में दिनांक 26.09.2018 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता, विधिमान्यता और औचित्यता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है:-

दोषसिद्धि	दण्डादेश एवं अर्थदण्ड
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन	आजीवन कठोर कारावास और ₹ 1,000/- का अर्थदण्ड; अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर, 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।



2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि मृतका बिरासबाई मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद अपने पति की मृत्यु के पश्चात, वह मस्तूरी थानांतर्गत ग्राम लवर में अपने भतीजों परमानंद केवट (अ.सा.-3) और परमेश्वर केवट (अ.सा.-10) के साथ रहती थी। अपीलार्थी विशेषर पाटले उर्फ बोडो, जो कि सिरगिटी थानांतर्गत ग्राम सिलपहरी का निवासी था, एक भिक्षुक था। दिनांक 13.05.2017 को, अपीलार्थी भिक्षाटन हेतु मृतका के भतीजों के घर और पड़ोस में गया था। सुबह लगभग 9:00-9:30 बजे, बिरासबाई स्नान के लिए एक सफेद बाल्टी लेकर तालाब के लिए घर से निकली और वापस नहीं लौटी। खोजबीन के पश्चात, दो दिन उपरांत दिनांक 15.05.2017 को, ग्राम सिलपहरी के सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केंद्र के एक जर्जर भवन में उसका शव अर्ध-नग्न अवस्था में पाया गया। उसके भतीजे की बहू श्रीमती पूर्णिमा (अ.सा.-5) और महिला समिति की अन्य सदस्यों ने शव देखा और परिवार को सूचित किया। परमानंद केवट (अ.सा.-3) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, पुलिस थाने में प्रदर्श पी-7 के माध्यम से मर्ग पंजीबद्ध किया गया और पंचनामा तैयार किया गया। चिकित्सक पी.सी. बनर्जी (अ.सा.-13) ने शव का परीक्षण किया और प्रदर्श पी-15 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मृत्यु का कारण मानव-वध बताया गया। पुलिस ने विवेचना की और प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दादूलाल केवट (अ.सा.-4) ने दिनांक 13/05/2017 को मृतका को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ जाते देखा था। मृतका के भतीजों के संतानों ने भी उन्हें जाते हुए देखा था और परिवार को सूचित किया था। इसके अतिरिक्त, जब अभियुक्त/अपीलार्थी की तलाश की गई, तो उसके घर से वह सफेद बाल्टी बरामद हुई जो कथित तौर पर मृतका अपने साथ ले गई थी। पूछताछ करने पर अभियुक्त भाग गया। विवेचना के दौरान, अभियुक्त के मेमोरेडम कथन (प्रदर्श पी-9) के आधार पर, उससे एक डंडा प्रदर्श पी-10 के माध्यम से जब्त किया गया। इसे रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण के दौरान, अपराध को साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 15 साक्षियों का परीक्षण किया है और 24 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन भी अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के प्रकरण में अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया।

4. उभय पक्षकारों को सुनने के उपरांत, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय पारित किया।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, किंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य न तो पुष्ट हैं और न ही इतने पूर्ण हैं कि सभी कड़ियों को जोड़ सकें और



अपीलार्थी के दोष को स्थापित कर सकें। साक्षी दादूलाल केवट (अ.सा.-4), जिसने यह कथन किया था कि उसने मृतका और अपीलार्थी को अंतिम बार साथ देखा था, उसने अपने पुलिस कथन में अपीलार्थी का नाम नहीं लिया था। अन्य बच्चे जिन्होंने उन्हें देखने का दावा किया था, उनका परीक्षण नहीं किया गया। अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर, डंडे पर कोई रक्त नहीं पाया गया। अतः डंडे और घटना के मध्य कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। कथित बाल्टी को भी जब्त नहीं किया गया है, और विवेचना अधिकारी ने स्वीकार किया है कि जिस प्रकार की बाल्टी का वर्णन किया गया है, वह बाजार में सरलता से उपलब्ध है। इस प्रकार, मृतका की बाल्टी का अभियुक्त के साथ कथित संबंध स्थापित नहीं हुआ है, और अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पूर्णता के अभाव के कारण अपीलार्थी के विरुद्ध अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहा है। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय साक्ष्यों का उचित विवेचन करने में असफल रहा और दोषसिद्धि एवं दंडादेश पारित किया, जो कि संधारणीय नहीं है। अतः, अपील स्वीकार की जाए, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए, और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा किया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है, अतः अपील खारिज की जाए।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

8. विचारण न्यायालय ने, चिकित्सक पी.सी. बनर्जी (अ.सा.- 13) द्वारा प्रमाणित शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-18) और अन्य साक्ष्यों के आधार पर, यह साबित पाया गया कि बिरासबाई की मृत्यु मानव-वध थी, जो हमारे सुविचारित अभिमत में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का एक उचित निष्कर्ष है और जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। तदनुसार, हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि मृतका की मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी।

9. अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित न होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पद्मन बिभर विरुद्ध ओड़िशा राज्य, 2025 एससीसी आनलाइन एससी 1190 में प्रकाशित प्रकरण के कण्डिकाएँ 10 से 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-



“10. यह सुस्थापित विधि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, अभियोजन का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक परिस्थिति को साबित करे, संवयी रूप से ली गई परिस्थितियाँ इतनी पूर्ण कड़ी बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष के सिवाय अन्य सभी निष्कर्ष अपवर्जित हो कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है किसी अन्य द्वारा नहीं। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार साबित किए गए तथ्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त के दोष की ओर इंगित करते हो।

11. इस न्यायालय ने रामानंद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, (1981) 1 एससीसी 511 में प्रकाशित प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि इस अपूर्ण संसार में पूर्ण प्रमाण विरले ही प्राप्त होते हैं और पूर्ण निश्चितता एक मिथक है।

12. इस न्यायालय ने शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 में प्रकाशित प्रकरण के एक सुप्रसिद्ध निर्णय में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों में स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें अभियोजन द्वारा साबित किया जाना अनिवार्य है:

- (i) साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए;
- (ii) अभियोजन द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए;
- (iii) स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए;
- (iv) अवलंब ली गई परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष के साथ सुसंगत होनी चाहिए;
- (v) अवलंब ली गई परिस्थितियों को साबित की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए।”

11. नवनीतकृष्णन विरुद्ध राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, (2018) 16 एससीसी 161 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य अभियुक्त के दोष की ओर इंगित कर सकता है, किंतु केवल यही साक्ष्य अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने के भार का निर्वहन नहीं कर सकता और इसके लिए संपुष्टि की आवश्यकता होती है।

12. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए सर्वप्रथम और प्राथमिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह पाया कि मृतका को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था। इस प्रकरण में मुख्य साक्षी दादूलाल केवट (अ.सा.-4) है। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा कि नदी के पास भैंस चराते समय उसने बिरासबाई को अपीलार्थी के साथ नदी पार कर सिलपहरी और घुमा गाँवों की ओर जाते देखा था। यद्यपि, प्रतिपरीक्षण के दौरान जब उसका सामना उसके पुलिस कथन (प्रदर्श डी-1) से कराया गया, तो यह पाया गया कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित



अपने पुलिस कथन में अपीलार्थी के नाम का उल्लेख नहीं किया था। इस प्रकार, यदि उसने अपीलार्थी को पहचाना होता, तो उसने यह उल्लेख किया होता कि उसने मृतका को अपीलार्थी के साथ देखा था। चूंकि उसने अपने पुलिस कथन में अपीलार्थी के नाम का उल्लेख नहीं किया, इसलिए यह संदेहास्पद है कि क्या उसने मृतका को अपीलार्थी के साथ देखा था। दादूलाल के साथ-साथ विवेचना अधिकारी, उप-निरीक्षक राहुल तिवारी (अ.सा.-15) ने भी यह स्वीकार किया कि कोई भी पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी। इस स्तर पर, यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि दादूलाल ने मृतका को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा था।

13. इस संबंध में, मृतका के भतीजे परमानंद केवट (अ.सा.-3), श्रीमती पूर्णिमा (अ.सा.-5), परमेश्वर केवट (अ.सा.-10) और उनकी पत्नी श्रीमती सांताबाई (अ.सा.-6) का परिसाक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। अन्य व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने यह कथन किया कि अपीलार्थी उस दिन भिक्षा मांगने के लिए उनके गांव स्थित घर आया था। यद्यपि, उनके कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलार्थी मृतका को अपने साथ ले गया था। इन साक्षियों ने यह भी कथन किया कि बच्चों, श्वेता और सुहाना ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी मृतका को अपने साथ ले गया था। किंतु, श्वेता और सुहाना को न तो साक्षी बनाया गया और न ही अभियोजन द्वारा उनका परीक्षण किया गया। इस प्रकार, यह युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं हुआ है कि मृतका को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था।

14. यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साक्षियों द्वारा बिरासबाई का शव दिनांक 15/05/2017 को प्रातः लगभग 9-10 बजे सिलपहरी स्थित सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन में पाया गया था, जबकि उसे अंतिम बार दिनांक 13/05/2017 को प्रातः लगभग 9-10 बजे अपीलार्थी के साथ देखे जाने की सूचना मिली थी, अर्थात् उसे अंतिम बार देखे जाने और उसके शव की बरामदगी के बीच 48 घंटे का अंतराल था। यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, तो भी 48 घंटे का यह अंतराल एक लंबा समय है।

15. गोवा राज्य विरुद्ध संजय ठाकरन व एक अन्य, (2007) 3 एससीसी 755 में प्रकाशित प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने पाया कि जब मृतक को अंतिम बार अभियुक्तों के साथ जीवित देखा गया था, तब से लगभग 8^{1/2} घंटे का काफी समय अंतराल था। माननीय न्यायाधिपतिगण ने यह अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तियों को साथ देखे जाने और अपराध के संभावित समय के मध्य काफी समय अंतराल होने के कारण, अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति, यदि साबित भी हो जाए, तो भी अभियुक्त पर निर्णायक रूप से दोषारोपण नहीं कर सकती।



16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पद्मन बिभर** (पूर्वोक्त) के प्रकरण की कण्डिका 22 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है:-

“22. इस न्यायालय ने बोधराज विरुद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य, (2002) 8 एससीसी 45 में यह अभिनिर्धारित किया है कि: (एससीसी पृ. 63, कण्डिका 31)

'31. अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत तब प्रभावी होता है जब उस समय अंतराल के बीच, जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था, समय का अंतर इतना कम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का कारक होने की संभावना असंभव हो जाए।'

ऐसे प्रकरणों में जहाँ यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अन्य सकारात्मक साक्ष्य न हो कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार साथ देखा गया था, वहाँ दोषसिद्धि के निष्कर्ष पर पहुँचना जोखिमपूर्ण होगा।”

17. उपरोक्त निर्णय के आलोक में साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी वह अंतिम व्यक्ति था जिसे मृतका के साथ देखा गया था, और यहाँ तक कि समय अंतराल के आधार पर भी यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि बिरासबाई की मृत्यु में अपीलार्थी संलिप्त था।

18. अपीलार्थी की दोषसिद्धि का दूसरा प्रमुख आधार यह है कि विवेचना अधिकारी, उप-निरीक्षक एस.के. बघेल (अ.सा.-14) ने अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया और मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-9) के आधार पर यह बताया कि उन्होंने अपीलार्थी के निशानदेही पर ग्राम सिलपहरी में सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन के पास एक पेड़ से एक लकड़ी का डंडा (प्रदर्श पी-10) बरामद कर जब्त किया था। इस मेमोरेंडम और जब्ती के साक्षी रविकुमार धीरज (अ.सा.-7) और शमशेर सिंह (अ.सा.-8) हैं। प्रारंभ में उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था, किंतु अभियोजन के सुझाव पर उन्होंने उपरोक्त विवेचना की कार्यवाही को स्वीकार किया। यद्यपि, यह तथ्य उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर के प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-24) के अनुसार, उक्त डंडे पर कोई रक्त नहीं पाया गया। इस प्रकार, अभियोजन उक्त जब्त किए गए डंडे और मृतका बिरासबाई की मृत्यु के मध्य कोई संबंध स्थापित करने में असफल रहा है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि का उक्त आधार भी अप्रमाणित पाया जाता है।

19. अपीलार्थी की दोषसिद्धि का तीसरा आधार यह था कि मृतका के परिवार के सदस्यों ने वह सफेद बाल्टी देखी थी, जिसे लेकर मृतका नदी पर स्नान करने के लिए घर से निकली थी। इस संबंध में मृतका की भतीजी, श्रीमती पूर्णिमा (अ.सा.-5) का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है। उसने कथन किया कि जब वे अपीलार्थी के घर गए, तो वह सामने वाले नल से उसी सफेद बाल्टी में पानी भर रहा था। जब उन्होंने उसे रोका और पूछा कि क्या यह बाल्टी बिरासबाई की है, तो अपीलार्थी ने कहा कि वह बिरासबाई की



बाल्टी नहीं लाया है और बहस के बाद वह वहां से भाग गया। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उक्त कथित सफेद बाल्टी को जब्त नहीं किया गया है, और विवेचना अधिकारी राहुल तिवारी (अ.सा.-15) ने स्वीकार किया कि उन्होंने बाल्टी के संबंध में कोई जांच नहीं की थी। श्रीमती पूर्णिमा (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि जिस बाल्टी का उसने वर्णन किया है वह साधारण प्लास्टिक की बनी थी, और साक्षियों के कथनों से यह भी संकेत मिला कि इस तरह की बाल्टियाँ बाज़ार में आसानी से मिल जाती थीं। मृतका के भतीजे, परमानंद केवट (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में बाल्टी का वर्णन साधारण पेंट के डिब्बे के समान किया, और कभी इसे बाल्टी तो कभी पेंट का डिब्बा कहा। इस प्रकार, उस वस्तु के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, और न ही मृतका की मृत्यु के साथ अपीलार्थी का संबंध स्थापित करने के लिए कोई विवेचना की गई है।

20. जहाँ तक पूछताछ के दौरान अपीलार्थी के भागने का प्रश्न है, उसके इस आचरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह इस प्रकरण में दोषी है। क्योंकि यदि कई लोग किसी व्यक्ति पर हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप लगाते हैं, तो वह अपरिहार्य रूप से अकेला पड़ जाएगा और भाग खड़ा होगा। उसे मात्र उसके भाग जाने के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

21. उपरोक्त विवेचना और ऊपर संदर्भित निर्णयों के आलोक में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है और दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है।

22. अपीलार्थी जमानत पर है। उसे इस प्रकरण में अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क में निहित प्रावधानों के आलोक में उसके जमानत बंधपत्र छह माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेंगे।

23. इस निर्णय की एक सत्यापित प्रति मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई हो, हेतु अविलंब प्रेषित की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

